(245)

(352)

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल खण्डपीठ रीवा म.प्र.

COURT FEE 20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Re. 701

R-1591-II/14

अर्चना चौरसिया पत्नी श्री राजेश चौरसिया उम्र 39 वर्ष पेशा कृषि एवं घरूकार्य साकिन लालपुर तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

..........................पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका

बनाम

मुन्न शुक्ला उर्फ गोविन्द शुक्ला पिता श्री हरिशंकर शुक्ला निवासी ग्राम लालपुर तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

.....................उत्तरार्थी/अनावेदक

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

आदेश विरूद्ध तहसीलदार महोदय तहसील अमरपाटन के रा.प्र.क्र. 21अ70/11–12 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2014 के विरूद्ध

22.5.14

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका आदर सहित पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय करती है :–

**संक्षेप में प्रकरण के तथ्य :–**

1. यह कि आवेदिका ने ग्राम बर्रेहबड़ा की आ0नं0 881/2 रकवा 0.049हे. एवं आ0नं0 882/2 रकवा 0.263हे., आ0नं0 883/2 रकवा 0.223हे., आ0नं0 884/2 रकवा 0.040हे. कुल रकवा 0.575हे. उसके भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी मुस. सावित्रीदेवी पत्नी स्व0 श्री इन्द्रदत्त कायस्थ से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से 1 सितम्बर 2010 में क्रय करके काबिजदखील है तथा आ0नं0 882/1 एवं 883/1 कुल किता 2 कुल रकवा 0.490हे. के भूमिस्वामी माधुरी संजय व रवीन्द्र ने अनावेदक/उत्तरार्थी को विक्रय कर दिया था।

अर्चना चौरसिया

26.4.14

(245)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.1591 II / 2014 जिला–सतना

श्रीमती अर्चना चौरसिया / मुन्नालाल उर्फ गोविन्द शुक्ला

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 23.04.19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भूदयाल द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 21 / अ–70 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(बी.एम.शर्मा),<br>सदस्य | |